

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद।

आदेश संख्या- 46/2023

दिनांक : फरवरी 10, 2023

आदेश


माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय, सत्र खण्ड, इलाहाबाद द्वारा पत्र दिनांकित 10.02.2023 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से दिनांक 11.02.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों का निस्तारण सुनिश्चित किये का निर्देश प्रदान किया गया है। माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी है कि पूर्व की लोक अदालत में निस्तारित प्रकरणों की संख्या से अधिकाधिक संख्या में इस लोक अदालत में वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये।

माननीय महोदय के निर्देश के अनुपालन में इस अधिष्ठान के समस्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी लोक अदालत में व्यक्तिगत रुचि लेते हुये एवं समस्त सार्थक प्रयास करते हुये अपने न्यायालय में अधिक संख्या में वादों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

नोडल अधिकारी (लोक अदालत) एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इलाहाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वे शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर आगामी लोक अदालत में अधिकतम संख्या में वादों के निस्तारण हेतु समस्त सार्थक प्रयास करें, जिससे माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

सभी सम्बन्धित सूचित हों।

दिनांक : फरवरी, 10 2023


(संतोष राय)
जनपद न्यायाधीश,
इलाहाबाद।

1. नोडल अधिकारी / लोक अदालत 10.2.23
2. सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण - 10/2/23

Justice Mohd. Azhar Husain Idrisi
Administrative Judge, Allahabad



10.02.2023

**The District Judge,
Allahabad**

The National Lok Adalat is scheduled to be held on February 11, 2023 under the aegis of National Legal Services Authority (NALSA). Hon'ble The Chief Justice has expressed his desire to make the ensuing National Lok Adalat a grand success.

The dedicated work which has been put in by all the officers of Judgeship of Allahabad is reflected in the impressive outcome of previous National Lok Adalats. It cast a duty upon us to keep it on.

To make the ensuing National Lok Adalat a grand success, officers are to be motivated and to make endeavour for maximum disposal of cases. It would be appropriate if you deliberate with all the Presiding Officers, including Presiding Officers of Commercial Court, Principal Judge, Family Court, Motor Accident Claims Tribunal, in your Judgeship on the matter and guide them to determine that our disposal of cases in this National Lok Adalats be more than, the number of cases disposed of in previous National Lok Adalats.

A sincere effort is expected for all the Judicial Officers to dispose of maximum number of cases for grand success of ensuing National Lok Adalat.

Wishing you all success to accomplish the uphill task entrusted to us.

[Mohd. Azhar Husain Idrisi]